

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1761]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2015/श्रावण 26, 1937

No. 17611

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2015/SRAVANA 26, 1937

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त , 2015

का.आ. 2262 (अ).- भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2499(अ) तारीख 24 सितंबर, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य में ओखला पक्षी अभ्यारण्य के चारों और पारिस्थितिक संवेदी जोन घोषित करने के लिए, प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां तारीख 24 सितम्बर, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी:

और, उक्त प्रस्तावित प्रारूप अधिसूचना के संबंध में, सभी व्यक्तियों तथा पणधारियों से प्राप्त सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

और, केंद्रीय सरकार ओखला पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में उस स्थान पर अवस्थित है जहां यमुना नदी राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली(एनसीटी) को छोड़ती है और उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है;

और ओखला पक्षी अभयारण्य की सीमाएं निम्नानुसार हैं:-

उत्तर : अभयारण्य की उत्तरी सीमा ओखला मेड और ओखला मेड बंध; यमुना और हिंडन नदी दिल्ली नोएडा सीधा उपरी पुल के निकट के खंड में अभयारण्य में प्रवेश करती है किंतु इस तरफ से फ्लाई ऑवर के लिए कोई प्रवेश नहीं है;

दक्षिण: ओखला बैराज, टाई बंध, आम्रपाली मार्ग (वह मार्ग जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है) और शाहदरा नाला दक्षिणी सीमा का निर्माण करते हैं। अधिकांश सीमा पर बाड़ है ; पूर्व : बायां प्रवाह बंध पूर्वी सीमा का निर्माण करता है । बायां प्रवाह बंध एक तटबंध है जो नजदीक के क्षेत्रों में जल के प्रवेश का निवारण करता है । यह 2.5 किलोमीटर लंबा है और इसका उपयोग सड़क के रूप में किया जाता है ;

पश्चिम : दायां सीमांत बंध पश्चिमी सीमा का निर्माण करता है । इस बंध का भागत: बाड़ द्वारा और भागत: एक दीवार द्वारा संरक्षण किया जाता है ।

और ओखला पक्षी अभयारण्य विभिन्न प्रकार के बड़ी संख्या में जलीय पिक्षयों के आवास के रूप में जाना जाता है और प्रवासी तथा निवासी पिक्षयों (लगभग 6,000 पिक्षयों की 324 प्रजातियां) को सर्दियों के दौरान सूचीबद्ध किया गया है और इस अभ्यारण्य में आने वाले महत्वपूर्ण पिक्षयों में कोमोरिंट्स, हैरोन्स, इग्रेट्स, डार्टर, कूट, बत्तखें आदि भी हैं;

और अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र तथा उसमें पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के प्रसार का सुधार करना और उनका विकास करना तथा उसके पर्यावरण का संरक्षण और परिरक्षण आवश्यक है;

और ओखला पक्षी अभयारण्य की पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से सौ मीटर तक के क्षेत्र का और उत्तरी सीमा से 1.27 किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक हो गया है और पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से एक किलोमीटर क्षेत्र के भीतर और ओखला पक्षी अभयारण्य की दक्षिणी सीमा से 1.27 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर वाणिज्यिक खनन कार्यकलापों का प्रतिषेध करना आवश्यक हो गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पिठत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में ओखला पक्षी अभयारण्य की पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से सौ मीटर तक के क्षेत्र को और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की उत्तरी सीमा से 1.27 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ओखला पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- 1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) ओखला पक्षी अभयारण्य की उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के दक्षिण पूर्व जिले से सौ मीटर से 1.27 तक पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार है।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से सौ मीटर तक और ओखला पक्षी अभयारण्य की उत्तरी सीमा से डीएनडी फ्लाई ऑवर तक नदी तल के विस्तार तक 1.27 किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के दक्षिणी पूर्वी जिले तक फैला हुआ है।
- (3) ओखला पक्षी अभयारण्य के चारों ओर का पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इस अधिसूचना के उपाबंध 1 के रूप में संलग्न है।
- (4) पारिस्थितिक संवेदी जोन की बाहरी सीमा के महत्वपूर्ण बिंदूओं को उपदर्शित करने वाले निर्देशांक इस अधिसूचना के साथ उपाबंध 2 के रूप में संलग्न है।
- (5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले दस शहरी क्षेत्र या ग्राम उनके स्थायी बिंदुओं पर अक्षांश और देशांतर सहित इस अधिसूचना के साथ **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध हैं :

परंतु उपाबंध 3 पारिस्थितिक संवेदी जोन की संबंधित आंचलिक महायोजना में राज्य सरकारों द्वारा पुष्टि किए जाने के अध्यधीन होगा।

- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) संबंधित राज्य सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर स्थानीय लोगों और निम्नलिखित संबंधित राज्य विभागों में परामर्श से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी तथा जो कि उत्तर प्रदेश / राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी, अर्थात् :-
 - (i) वन, पर्यावरण और वन्य जीव प्रबंधन :
 - (ii) उत्तर प्रदेश या दिल्ली पुलिस ;
 - (iii) शहरी आवास विकास ;
 - (iv) पर्यटन ;
 - (v) ग्रामीण प्रबंधन और विकास ;

- (vi) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण ;
- (vii) लोक निर्माण विभाग या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग;
- (viii) भू-राजस्व; और
- (ix) आपदा प्रबंधन।
- (x) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- (2) आंचलिक महायोजना निम्नीकृत क्षेत्रों के पुनरुद्वार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, भू जल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य परिप्रेक्ष्यों जिनपर ध्यान देने की आवश्यकता है के लिए उपबंध करेगी।
- (3) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान और प्रस्तावित शहरी बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, वनों की किस्म और प्रकार, कृषि क्षेत्रों और बागवानी क्षेत्रों, झीलों, अन्य जल निकायों और उद्यमी इकाइयों को चिन्हित करेगी।
- (4) आंचलिक महायोजना में ऐसे उपाय अंतर्विष्ट होंगे जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा पैरा 4 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों के विनियमन के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।
 - (5) इस प्रकार तैयार जोनल मास्टर योजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ साथ समाप्त होगी।
- 3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-
- (1) भू-उपयोग- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वन, उद्यान क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्यान और मनोरंजन के प्रयोजन के लिए चिन्हित खुले स्थानों का उपयोग या उनका संपरिवर्तन वाणिज्यिक या उद्योगों से संबंधित विकास कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाएगा :

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि के संपरिवर्तन को मानीटरी समिति की सिफारिशों पर और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से स्थानीय नागरिकों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और क्रमशः पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट मद संख्या 24 और मद संख्या 27 में सूचीबद्ध कार्यकलापों के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (i) सुरक्षा बल शिविर; और
- (ii) वर्षा जल संचयन:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-अभिलेखों में उत्पन्न होने वाली किसी त्रुटि का सुधार राज्य सरकार द्वारा मानीटरी समिति के मत को अभिप्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक दशा में एक बार किया जाएगा और उक्त त्रुटि के सुधार से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को संसूचित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि पूर्वोक्त त्रुटि सुधार में किसी भी दशा में भूमि उपयोग में परिवर्तन सिवाय इस उप पैरा के अधीन उपबंधित के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

- (2) पर्यटन--पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :--
- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिक पर्यटन,पारिस्थितिक-शिक्षा और पारिस्थितिक विकास तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता पर आधारित अध्ययन पर जोर देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;
 - (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी भी प्रकार के संनिर्माण की मंजूरी नहीं होगी;
- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विकास और प्रसार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ;
- (3) नैसर्गिक विरासत- पारिस्थितिक संवेदी जोन में मूल्यवान नैसर्गिक विरासत की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा ; सभी जीन पूल के लिए आरक्षित क्षेत्र, चट्टान विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं,

स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, खड़ी चट्टानों आदि को परिरक्षित किया जाएगा ; राज्य सरकार उनके संरक्षण और संभारण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होंगी।

- (4) ध्विन प्रदूषण पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग उत्तर प्रदेश /राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा।
- (5) वायु प्रदूषण पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग उत्तर प्रदेश/राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा।
- (6) बहिस्रावों का निस्सारण :-- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव जल का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसार होगा।
 - (7) ठोस अपशिष्ट :-- (1) ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपिशष्ट का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपिशष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाए तैयार करेंगे:
 - (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
 - (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा।
- (8) जैव चिकित्सा अपशिष्ट- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत के राजपत्र में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ.630(अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (9) यानीय परिवहन परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और ऐसे समय जब तक की आंचलिक महायोजना के तैयार होने और उत्तर प्रदेश/राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जाने तक, मानीटरी समिति यानीय गतिविधियों को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटर करेगी।
 - (10) आंतरिक एवं ब्राहृय प्रकाश
 - (i) प्रवासी मौसम के दौरान में तेज आंतरिक प्रकाश का उपयोग न्यूनतम रखना;
 - (ii) देर रात्रि के दौरान भवनों में ब्राहृय प्रकाश को मंद रखने को बढ़ावा देना;
 - (iii) दिन और रात में प्रकाश परावर्तन को न्यूनतम रखने के लिए बढ़ावा देना भवनों के सामने के भाग में कांच के न्यूनतम उपयोग को बढ़ावा देना; और
- (iv) पक्षियों के प्रवासी मौसम के दौरान (15 अक्तूबर से 15 मार्च) तेज प्रकाश को प्रतिषिद्व करना तथा रात में पक्षी अनुकूल विसारित प्रकाश के उपयोग को प्रोत्साहित करना |

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलाप -पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी कार्यकलापों का प्रशासन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 25) के उपबंधों के अनुसार होगा और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध	क्रियाकलाप :	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	(क) नए खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खदानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय प्रतिसिद्ध होंगी;
		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम
		भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट
		याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत
		सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वथा होंगे।
2.	आरा मिलों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का
		विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	वाणिज्यक होटलों और रिसोर्टों की स्थापनां	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए वाणिज्यक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	नए बृहत जल विद्युत परियोजनों और सिचाई परियोंजनाओं की स्थापना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	नए काष्ठ आधारित उद्योग निस्सारण	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी भी प्रकार का नए निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा सिवाय स्थानीय नागरिकों की आवासीय आवश्यकताओं जिसके अन्तर्गत मद संख्या 24 और मद संख्या 28 क्रियाकलाप भी सम्मिलित है.
10.	प्लास्टिक बैगों का उपयोग	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
11.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण प्रतिषिद्ध है।
	विनियमित क्रियाकलाप	
12.	वृक्षों की कटाई	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन,
		सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
13.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए
		जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत

		जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह
		निष्कर्षण करेगा, भी है।
		(ग) सतही या भूजल का विव्रय अनुज्ञात नहीं होगा।
		(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने
		के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
15.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में	उपचारित बहिस्रवि के पुन:चक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और
10.	उपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण	पंक और ठोस अपशिष्ट का निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का
		पालन किया जाएगा।
16.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
17.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू
	उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण	अनुसार होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित
		होंगे । पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर शांत क्षेत्रों या नो हार्म जोन को घोषित करना।
20.	विदेशी प्रजातियों की पहचान	जान का था।षत करना । लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	वायु गुबारों आदि द्वारा अभ्यारण क्षेत्र	
	के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप	
	करना	
22.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	पुरक्षाबल कैम्प	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	आंतरिक और वाहय प्रकाष	(क) प्रवासी मौसम के दौरान तेज आंतरिक प्रकाश का उपयोग न्यूनतम रखना ।
		(ख) देर रात्रि के दौरान इमारतों के वाहय प्रकाश को मध्यम रखने को बढावा देना ।
		(ग) दिन और रात में प्रकाश परावर्तन को न्यूनतम रखने के
		लिए भवनों के सामने के भाग में कांच के न्यूनतम उपयोग
		को बढ़ावा देना ।
		(घ) तेज प्रकाश को प्रतिषिद्व करना तथा पक्षी अनुकूल रात
<u>-</u>	विभिन्न सर्गास्त्रमण	में विसारित प्रकाश के उपयोग को प्रोत्साहित करना ।
4-1	वर्धित कार्यकलाप	
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा लाई जा रही	उनमें से कुछ गतिविधियों का अत्यधिक विस्तार आंचलिक
	कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ	महायोजना के अनुसार विनियमित किया जायेगा।
	पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन	
20	वर्षा जल संचयन	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
28.	वनस्पतिय बाङ्	,
29.		सिक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
30.	जैविक खेती	सक्रियं रूप से बढावा दिया जाए ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।

- सदस्य

5. राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिव लिए उत्तर प्रदेश राज्य और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली प्रत्येक के लिए एक समिति का गठन जायेगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-	क संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी वे न करेगी जिसे मानीटरी समिति कह
(क) उत्तर प्रदेश राज्य के लिए मानीटरी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्	: -
(i) मुख्य सचिव, पर्यावरण और वन	- अध्यक्ष ;
(ii) सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	, - सदस्य ;
(iii) सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	- सदस्य ;
(iv) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नाम निर्दिष्ट पारिस्थितिकी व विशेषज्ञ	और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विषय - सदस्य ;
(v) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नाम निर्दिष्ट पर्यावरण के क्षेत्र में क	•
एक प्रतिनिधि	ाय कर रह गर सरकारा संगठना का - सदस्य
(vi) आवास और शहरी योजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि	- सदस्य
(vii) राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि	- सदस्य
(viii) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि	- सदस्य ;
(ix) संबंधित जिला कलक्टर	-सदस्य
(x) संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी	- सदस्य
(xi) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि	- सदस्य
(xii) मुख्य वन्यजीव वार्डन	- सदस्य सचिव,
(ख) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी मिलकर बनेगी, अर्थात् :-	समिति निम्नलिखित सदस्यों से
(i) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली	- अध्यक्ष ;
(ii) सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	- सदस्य
(iii) सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	- सदस्य ;
(iv) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नाम निर्दिष्ट प	ारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र
में एक विषय विशेषज्ञ	- सदस्य ;
(v) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नाम निर्दिष्ट पर	र्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर
सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि	- सदस्य
(vi) दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधि	- सदस्य
(vii) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग का प्रतिनिधि	- सदस्य,
(viii) संबंधित जिला कलक्टर	- सदस्य

(ix) संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी

- सदस्य

(x) उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि

- सदस्य

(xi) मुख्य वन्य जीव वार्डन, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

-सदस्य सचिव ;

6. निर्देश निबंधन


(1) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (5) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति विषय-विषय आधारित अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की गई कार्रवाई की वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट उस वर्ष की 30 जून तक केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उपाबंध IV में दिए गए प्रोफार्मा में प्रस्तुत करेगी।
- (7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, या उच्च न्यायालय द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों, यदि कोई हैं के अध्यधीन हैं।

[फा. सं. 25/20/2014-ईएसजेड-आरई] डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-

ओखला पक्षी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (एनसीआर) के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के मानचित्र के साथ दूरस्थ और विस्तार में अक्षांश और रेखांश



उपाबंध-॥

ओखला पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली के चारों ओर के पारिस्थितिकी संवेदी जोन बाहरी सीमाओं को दर्शाने वाले निर्देशांक

क्र.सं.	बिंदु		रेखांश	T		अक्षांश	
		डिग्री	मिनट	सेकेंड	डिग्री	मिनट	सेकेंड
1.	А	28	34	24	77	18	27
2.	В	28	33	51	77	18	50
3.	С	28	33	18	77 .	19	13
4.	D	28	33	1	77	19	7
5.	E	28	32	38	77	18	40
6.	F	28	32	48	77	18	31
7.	G	28	32	46	77	18	22
8.	Н	28	32	59	77	18	6
9.	Ì	28	33	26	77	17	45
10.	J	28	33	59	77	17	34
11.	К	28	34	2	77	17	41
12.	L	28	34	28	77	17	15
13.	М	28	34	32	77	17	17
14.	N	28	34	35	77	17	16
15.	0	28	34	46	777	17	44
16.	Р	28	34	38	77	18	7 .
17.	Q	28	34	21	77	18	21

उपाबंध ॥

प्रस्तावित ओखला पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले शहरी क्षेत्र/ग्रामों की सूची

क्रम सं.	राज्य	शहरी क्षेत्र/ग्राम का नाम	बिंदु		रेखांश		अक्षांश			तहसील	जिला
				डिग्री	मिनट	सेकेंड	डिग्री	मिनट	सेकेंड		
1.	उत्तर प्रदेश	सेक्टर 95, नोएडा	बी	28	33	51	77	18	50	दादरी	गौतम बुद्ध नगर
2.	उत्तर प्रदेश	छलेरा औरंगाबाद	सी	28	33	18	77	19	13	दादरी	गौतम बुद्ध नगर
3.	उत्तर प्रदेश	नयावांस	पी	28	34	38	77	18	7	दादरी	गौतम बुद्ध नगर
4.	दिल्ली	शाहीन बाग	जी	28	32	46	77	18	22	मैहरोली	दक्षिण पूर्व दिल्ली

5.	दिल्ली	जसोला -	एच	28	32	59	77	18	6	मैहरोली	दक्षिण पूर्व दिल्ली
.6.	दिल्ली	अबुल फजल एन्कलेव	आई	28	33	26	77	17	45	मैहरोली	दक्षिण पूर्व दिल्ली
7.	दिल्ली	ओखला	जे	28	33	59	77	17	34	मैहरोली	दक्षिण पूर्व दिल्ली
8.	दिल्ली	कैनाल कॉलोनी, उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग	आई- ए	28	33	54	77	17	35	मैहरोली	दक्षिण पूर्व दिल्ली
9.	दिल्ली	जोगाबाई	के	28	. 34	2	77	17	41	मैहरोली	दक्षिण पूर्व दिल्ली
10.	दिल्ली	खिजराबाद	एल	28	34	28	77	17	15	मैहरोली	दक्षिण पूर्व दिल्ली

उपाबंध IV

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा - मानीटरी समिति

- 1. बैठकों की संख्या और दिनांक
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- 3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश
- 5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
- 6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश
- 8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2015

S.O. 2262(E).-Whereas, a draft notification, for declaration of Eco-sensitive Zone (ESZ) around Okhla Bird Sanctuary in the National Capital Territory of Delhi and the State of Uttar Pradesh was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2499 (E), dated the 24th September, 2014, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on 24th September, 2014;

And whereas, all objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

And whereas, the Central Government considers that the Okhla Bird Sanctuary is located in the National Capital Region (NCR) at the point where the river Yamuna leaves the territory of the National Capital Territory of Delhi and enters the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the boundaries of Okhla Bird Sanctuary are as follows:-

North: The Okhla Weir and Okhla Weir Bund forms the Northern boundary of the Sanctuary; River Yamuna and Hindon Cut enter the sanctuary from the section close to Delhi Noida Direct flyover but there is no entry to the flyover from this side;

South: The Okhla barrage Tie Bund, Amrapali Marg (a road that connects Delhi and Noida) and Shahdara drains forms the Southern boundary, and most of this boundary is fenced;

East: Left afflux bund forms the Eastern boundary. The left afflux Bund is the dyke that prevents water from entering the nearby areas, and it is 2.5 kilometers long and is used as a road;

The right Marginal Bund forms the western boundary of the sanctuary and this bund is protected partly by a fence and partly by a wall;

And whereas, the Okhla Bird Sanctuary is known for its aquatic habitat of large number and variety of migratory and resident birds (about 324 species of about 6000 birds) have been listed during winters and the important birds that visit the sanctuary includes different species of Cormorants, Herons, Egrets, Darter, Koot, Ducks, etc.;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area around the sanctuary and to propagate improvement of and develop the different species of birds therein and its environment;

And whereas, it has become necessary to conserve and protect the area up to one hundred meter from the eastern, western and southern boundary and up to 1.27 kilometers from the northern boundary of the Okhla Bird Sanctuary as an Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit any commercial mining activities within one kilometer area from the eastern, western and southern boundary and within 1.27 kilometers area from the northern boundary of the Okhla Bird Sanctuary.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with subrule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to one hundred meter from the eastern, western and southern boundary and an area up to 1.27 kilometers from the northern boundary of the Okhla Bird Sanctuary in the State of Uttar Pradesh and the National Capital Territory of Delhi, as Okhla Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter called as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

- Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-(1) The extent of Eco-sensitive Zone ranges from 100 meters to 1.27 kilometers from the boundary of the Okhla Bird Sanctuary in the district of Gautam Budh Nagar of Uttar Pradesh and South East District of the National Capital Territory of Delhi.
- The Eco-sensitive Zone is the area up to one hundred meter from the eastern, western and southern boundary and up to 1.27 kilometers from the northern boundary of the Okhla Bird Sanctuary up to Delhi Noida Direct fly over across the river bed, situated in Gautam Budh Nagar district of Uttar Pradesh and South East district of National Capital Territory of Delhi.
- The map of the Eco-sensitive Zone around Okhla Bird Sanctuary is appended to this notification as Annexure-(3) I.
- The coordinates showing prominent points of the outer boundary of Eco-sensitive Zone is appended to this · notification as Annexure-II.

(5) The list of ten urban areas or villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their longitudes and latitudes at prominent points is appended to this notification as **Annexure-III**:

Provided that the Annexure-III shall be subject to confirmation by the State Governments in the respective Zonal Master Plans of the Eco-Sensitive Zone.

- 2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. (1) The State Governments shall, for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare Zonal Master Plans with respect to their State, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, to be approved by the competent authority in the State of Uttar Pradesh or, as the case may be, the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the local people and with the following concerned State Departments, namely:-
 - (i) Forest, Environment and Wildlife Management;
 - (ii) Uttar Pradesh or Delhi Police;
 - (iii) Urban Housing Development;
 - (iv) Tourism;
 - (v) Rural Management and Development;
 - (vi) Irrigation and Flood Control;
 - (vii) Public Works Department or Central Public Works Department;
 - (viii) Land Revenue;
 - (ix) Disaster Management; and
 - (x) Uttar Pradesh Pollution Control Board/ Delhi Pollution Control Committee.
- (2) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of ecology and environment that need attention.
- (3) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed urban settlements, village settlements, types and kinds of forest, agriculture areas, horticultural areas, lakes, other water bodies and entrepreneurial units.
- (4) The Zonal Master Plan shall contain the measures as may be specified by the Central Government or the State Government, for regulation of activities specified under column (2) of the Table specified in paragraph 4.
- (5) The Zonal Master Plan so prepared shall be co-terminus with the regional development plan.
- (6) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee referred to in paragraph 5, for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by State Government.-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) Land Use.-Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents, and for the activities listed at item numbers 24 and 27 specified under column (2) of the table, respectively, in paragraph 4, namely:-

- (i) Security Forces Camp; and
- (ii) Rainwater harvesting:

Provided further that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, only once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (2) Tourism.- The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone which shall form part of the Zonal Master Plan shall be as under, namely:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in

accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Ministry of Tourism and by the National Tiger Conservation Authority, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

- (ii) new construction of any kind shall not be allowed within the Eco-sensitive Zone;
- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scruitinisation and recommendation of the Monitoring Committee.
- (3) Natural heritage.-All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc., shall be identified and be preserved and proper plan be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plans shall form part of the Zonal Master Plan.
- Noise pollution.- The Environment Department or the State Forest Department of Uttar Pradesh or the National Capital Territory of Delhi shall issue guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) so as to declare silence zone or no horn zone within Eco-sensitive Zone.
- (5) Air pollution.- The Environment Department or the State Forest Department of Uttar Pradesh or the National Capital Territory of Delhi shall issue guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).
- (6) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974).
- (7) Solid wastes. Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000;
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner.
- (8) **Bio-medical waste.**-The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998.
- (9) **Vehicular traffic.** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government Uttar Pradesh or the National Capital Territory of Delhi, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement as per the rules and regulations in force.
- (10) Interior and Exterior Lighting-
- (i) Minimise use of bright interior lights during migration season;
- (ii) promote dimming of exterior building lights during late night hours;
- (iii) promote lesser use of glass in building façade to minimise the reflection of light during day and night; and
- (iv) bright lights should be restricted and birds friendly diffused light during night should be promoted during migratory season of the birds (i.e. 15th October to 15th March).
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited	l Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents
		(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs Union of India in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs Union of India in W.P.(C) No. 425 x 62012
2.	Setting up of saw mills.	Union of India in W.P.(C) No.435 of 2012. No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	Zone. Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Commercial establishment of hotels and resorts	No new or expansion of existing commercial establishments such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
6.	Commercial use of firewood	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	New wood based industry	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Construction activities	No new construction of any kind shall be allowed within the eco-sensitive zone except for the domestic needs of local residents including the activities listed at item nos. 24 and 28.
10.	Use of plastic bags	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated A		5
12.	Felling of trees	 (a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
13.	Drastic Change of agriculture system	Regulated under applicable laws.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting	(a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land.

16

5.

		(b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned
		Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water
		shall be permitted.
		(d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any
		source including agriculture.
15.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be
	natural water bodies of faild area.	encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be
		followed.
16.	Erection of electrical cables and	Promote underground cabling
1.5	telecommunication towers.	
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of	Shall be done with proper Environment Impact
	existing roads	Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at	Regulated for commercial purpose, under
	night	applicable laws. To declare silence Zone or No Horn Zone within Eco-sensitive Zone.
20.	Introduction of exotic species	Regulated under applicable laws and Zonal
		Master Plan.
21.	Undertaking activities related to	Regulated under applicable laws
	tourism like over-flying the	regulated under applicable laws
	National Park Area by aircraft,	
	hot-air balloons etc.	~
22.	Protection of hill slopes and river banks	Regulated under applicable laws
23.	Commercial sign board and hoardings	Regulated under applicable laws
24.	Security Forces Camp	Regulated under applicable laws
25.	Interior and Exterior Lighting	(a) Minimise use of bright interior lights during
		migration season
		(b) Promote dimming of exterior building lights during late night hours.
		(c) Promote lesser use of glass in building
		façade that reflects minimum light during day
		and night.
	•	(d) Bright lights should be restricted and birds
		friendly diffused light at night should be promoted during migratory season of the birds
		promoted during inigratory season of the birds
Promoted A	Activities	
26.	Ongoing agriculture and	Excessive expansion of some of these activities
	horticulture practices by local	should however be regulated as per the Zonal
	communities along with dairies,	Master Plan.
27	dairy farming and fisheries	Chall be actively well.
27.	Rain water harvesting Vegetative fencing	Shall be actively promoted. Shall be actively promoted.
29.	Organic farming	Shall be actively promoted. Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for	Shall be actively promoted.
	all activities	• • •

Monitoring Committee - (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee each for the State of Uttar Pradesh and for the National Capital Territory of Delhi to be called the Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, as under:-

A.	Monitoring Committee for the State of Uttar Pradesh co	omprisi	ng of the following members, na	mely:-
(i)	Principal Secretary (Environment and Forest)	-	Chairman	
(ii)	Member Secretary, Central Pollution Control Board	-	Member	
(iii)	Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution	-	Member	
	Control Board			
(iv)	An expert in the area of ecology and environment	-	Member	
	to be nominated by the Government of Uttar Pradesh			
	for a period of one year			
(v)	One representative of Non-governmental Organisation	-	Member	
	(working in the field of environment including heritage			
	conservation) to be nominated by the Government of			
	Uttar Pradesh for a period of one year			
(vi)	Representative of Housing and Urban Planning	-	Member	
	Department Government of Uttar Pradesh			
(vii)	Representative of Revenue Department Government of	_	Member	
	Uttar Pradesh			
(viii)	Representative of Irrigation Department Government of	-	Member	
	Uttar Pradesh		AT .	
(ix)	Concerned District Collector	-	Member	
(x)	Concerned Divisional Forest Officer	he	Member	
(xi)	Representative of Government of National Capital	_	Member	
	Territory of Delhi			
(xii)	Chief Wildlife Warden	-	Member-Secretary	
B. namely	Monitoring Committee for National Capital Territory	of De	hi comprising of the following	members,
(i)	Principal Secretary (Environment and Forest)	-	Chairman	
(ii)	Member Secretary, Central Pollution Control	-	Member	
	Committee			
(iii)	Member Secretary, Delhi Pollution Control Committee	-	Member	
(iv)	An expert in the area of ecology and environment	-	Member	
	to be nominated by the Government of National			
	Capital Territory of Delhi for a period of one year			
(v)	One representative of Non-governmental Organisation	=	Member	
	(working in the field of environment including heritage	2		
	conservation) to be norminated by the Covernment of			

	National Capital Territory of Delhi for a period of one year		
(vi)	Representative of Delhi Development Authority	-	Member
(vii)	Representative of Revenue Department, National	-	Member
	Capital Territory of Delhi		
(viii)	Concerned District Collector	, -	Member
(ix)	Concerned Divisional Forest Officer	-	Member

(x) Representative of Government of Uttar Pradesh(xi) Chief Wildlife Warden

Member Secretary

Member


6. Terms of Reference.-

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park incharge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma given in **Annexure-IV**.
 - (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
 - 7. The provisions of this notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal (NGT).

[No. 25/20/2014-ESZ/RE]

Annexure -I

Map of Eco-sensitive Zone boundary around Okhla Bird Sanctuary, National Capital Region(NCR) together with its latitudes and longitude of extremes and extent.



Annexure II

Coordinates showing prominent points of the outer boundary of Eco-sensitive Zone around Okhla Bird Sanctuary, Uttar Pradesh and National Capital Territory of Delhi.

S. No.	Point		Latitude		Longitude					
		D	M	S	D	M	· S			
1	A	28	34	24	77	18	27			
2	В	28	33	51	77	18	50			
3	C	28	33	18	77	19	13			
4	D	28	33	1	77	19	. 7			
5	E	28	. 32	38	77	18	40			
6	F	28	32	48	77	18	31			
7	G	28	32	46	77	18	22			
8.	Н	28	32	59	77	18	. 6			
9	I	28	33	26	77	17	45			
10	J	28	33	59	77	17	34			
11	K	28	34	2	77	17	41			
12	L	28	34	28	77	17	. 15			
13	M	28	34	32	77	17	17			
14	N	28	34	35	77	17	16			
15	0	28	34	46	77	17	44			
16	P	28	34	38	. 77	18	. 7			
17	Q	28	34	21	77	18	21			

Annexure III

List of Urban Area / Villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Okhla Bird Sanctuary, Uttar Pradesh and National Capital Territory of Delhi.

S. No.	States	Name of Urban Area/ Village	Point	Point Latitud		de	Lo	ngit	ude	Tehsil	District
				D	M	S	D	M	S		*
1.	U.P.	Sector-95, NOIDA	В	28	33	51	77	18	50	Dadri	Gautam Budh Nagar
2.	U.P.	Chhalera Orangabad	С	28	33	18	77	19	13	Dadri	Gautam Budh Nagar
3.	U.P.	Nayabans	P	28	34	38	77	18	7	Dadri	Gautam Budh Nagar
4.	Delhi	Shaheen Bagh	G	28	32	46	77	18	22	Mehrauli	South East Delhi
5.	Delhi	Jasola	Н	28	32	59	77	18	6	Mehrauli	South East Delhi
6.	Delhi	Abul Fazal Enclave	I	28	33	26	77	17	45	Mehrauli	South East Delhi
7.	Delhi	Okhla	J	28	33	59	77	17	34	Mehrauli	South East Delhi
8.	Delhi	Canal Colony, U.P. Irrigation Deptt.	I-A	28	33	54	77	17	35	Mehrauli	South East Delhi
9.	Delhi	Joga Bai	K	28	34	2	77	17	41	Mehrauli	South East Delhi
10.	Delhi	Khizrabad	L	28	34	28	77	17	15	Mehrauli	South East Delhi

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of Meetings.
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
- Summary of cases scrutinized for activities covered under EIA Notifications, 2006.
 Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under EIA Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.

•